

स्थिति	जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
--------	---

नोट-केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।

3. पदवार अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया:-पदवार अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है:-

(1)- **कार्यालय सहायक(श्रेणी-3) (पद कोड -26) :-**

❑ **अनिवार्य अर्हतायें :**

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।

(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

❑ **चयन प्रक्रिया :**

(क) **लिखित परीक्षा :** लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग :- प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात् यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। प्रथम भाग की परीक्षा में **कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य** होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :- लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी	50	50
सामान्य अंग्रेजी	50	50
कुल अंक		150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात् ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। **कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।** टंकण परीक्षा हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेष्ठतानुसार 5 गुना होगी।

(ख) **टंकण परीक्षा :-** उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जायेगा।

(2) **आशुलिपिक (श्रेणी-3)(पद कोड -24) :-**

❑ **अनिवार्य अर्हतायें :**

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।

(ख) हिन्दी आशुलेखन में **न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

(ग) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

❑ **चयन प्रक्रिया :**

(क) **लिखित परीक्षा :** लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग :- प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात् यह परीक्षा 50 अंकों की

होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :- लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी	50	50
सामान्य अंग्रेजी	50	50
कुल अंक		150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही आशुलिपि (Shorthand) एवं टंकण (Typing) परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात् ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे। आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेष्ठतानुसार 5 गुना होगी।

(ख) टंकण परीक्षा :- उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटा दिया जायेगा।

(ग) आशुलिपि परीक्षा :- आशुलिपि हिन्दी में 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य। नोट :- हिन्दी आशुलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले तथा हिन्दी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के पात्र होंगे।

टिप्पणी :- (1) वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (2) लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति में टंकण परीक्षा में अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा।

4- अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता साबित होने अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जायेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच निर्धारित सूचित तिथि पर बाद में की जायेगी, जिसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र /आवेदित आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक-एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति निर्धारित सूचित तिथि पर जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा(टंकण/आशुलेखन) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा।

(घ) अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

5 आयु में अनुमन्य छूट : (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (ग) विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।